न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00295/2019 **दायरा दिनांक : 24.09.2019**

उनवान

काशीराम आत्मज श्री गोबरीलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम कुण्डी, तहसील किशनगंज, जिला बारां
..... अपीलान्ट

बनाम

1– स्व० भूली बाई पत्नी श्री देवलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम कुण्डी, तहसील किशनगंज, जिला बारां, मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1 गीता पुत्री देवलाल पत्नी श्री घनश्याम जी, जाति माली, निवासी ग्राम बोरीना कलां–विजयपुर, तहसील सांगोद, जिला कोटा
1/2 सत्यपाल आत्मज श्री कन्हैयालाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम सीमलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा
1/3 महेन्द्र आत्मज श्री कन्हैयालाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम सीमलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा
1/4 अशोक आत्मज श्री कन्हैयालाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम सीमलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा
1/5 कौशल्या पुत्री श्री कन्हैयालाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम सीमलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा
2– प्रियंका पुत्री राजाराम जी, जाति माली, निवासी ग्राम कुण्डी हाल निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रामप्रसाद नागर रेस्पोडेंट नं. 1 एवं चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.12.2023**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 39/2019 निर्णय दिनांक 05.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कुण्डी पटवार हल्का ख्यावदा, तहसील किशनगंज, जिला–बारां में ख० सं० 117 रकबा 23 बीघा ।। बिस्वा, खसरा नम्बर 123/1 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130/1 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा । बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 28 बीघा । बिस्वा कुल लगानी 31.32 रुपये अवस्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0 टी0 ए0 खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विद्वान उपजिला कलक्टर, किशनगंज का निर्णय दिनांक 05.09.2019 न्याय, नियम एवं रेकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सर्वप्रथम भूलीबाई, गीताबाई, गंगाबाई, आदि ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 के तहत पेश किया गया तथा धारा 53 आर0 टी0 एक्ट के तहत बटंवारा करने हेतु न्यायालय से इस्तदुआ की गयी, जिसमें वादी/अपीलांट ने एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 का दिनांक 13.10.2006 को पेश किया गया जो दिनांक 22.06.2007 को निरस्त कर दिया गया, जिसकी निगरानी वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश की गयी जो माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2017 को स्वीकार कर वादी काशीराम को वाद सं0 111/2006 मे निगरानी स्वीकार पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया। साथ मे निर्णय दिनांक 09.10.2017 की प्रति संलग्न है। न्यायालय उपजिला कलक्टर, किशनगंज ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी/अपीलांट काशीराम ग्यारसीबाई से उत्पन्न जायन्दा पुत्र है जिसमें काशीराम का 1/2 हिस्सा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 का उल्लंघन कर विवादित निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने विधिक प्रावधानों को इग्नोर कर कानून की खुलमखुला अवहेलना कर विवादग्रस्त निर्णय पारित किया गया है गोपीलाल की लड़की ग्यारसीबाई ने पहली

शादी चन्दनलाल उर्फ रामचन्द्र से की, जिससे देवलाल का जन्म हुआ, देवलाल के पुत्र का नाम राजाराम है जो फौत हो चुका है, जिसकी एक मात्र पुत्री प्रियंका व पत्नि भूलीबाई है चन्दनलाल उर्फ रामचन्द्र की मृत्यु होने पर ग्यारसीबाई का दूसरा विवाह गोबरीलाल से हुआ जिससे अपीलांट काशीराम का जन्म हुआ। इस प्रकार काशीराम अपीलांट उक्त आराजी के मूल खातेदार गोपीलाल की पुत्री ग्यारसीबाई का पुत्र है तथा विवादित आराजी वर्णित आवेदन पत्र में हिस्सा 1/2 रकबा 14 बीघा का एक मात्र मालिक व स्वामी अपीलांट ही है तथा 1/2 पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच किये उक्त आराजी में राजस्व रेकार्ड में राजाराम पुत्र देवलाल अंकित कर दिया है ,जबकि 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार अपीलांट है तथा उक्त आराजी में बतौर अपीलांट अपना नाम अंकन कराने का अधिकारी है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर ध्यान नहीं दिया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट को जन्म से ही 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ है इस कारण वादी/अपीलांट 1/2 हिस्से के अधिकारों की घोषणा हेतु दावा पेश किया है। परीक्षण न्यायालय ने धारा 212 का निर्णय करते समय दावे का ही निर्णय कर दिया गया है। इस कारण परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा खातेदार गोपीलाल का इन्तकाल कयासों के आधार पर 1956 से पूर्व होना माना है जबकि गोपीलाल का इन्तकाल सन् 1960 में हुआ है इसके बाद ग्यारसीबाई को उत्तराधिकार के रूप में आराजी प्राप्त हुई, ग्यारसीबाई ने प्रथम विवाह चन्दालाल से किया जिससे देवलाल पैदा हुआ देवलाल के बाद भूलीबाई व राजाराम हुए, राजाराम की इन्तकाल के बाद भूलीबाई व प्रियंका 1/2 हिस्से पर काबिज है और 1/2 हिस्से पर अपीलांट काबिज है। परीक्षण न्यायालय द्वारा नॉन स्पीकिंग आदेश जारी कर अपीलांट के हितों पर कुठाराघात करते हुए धारा 212 का आवेदन खारिज किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के अन्तर्गत आवेदन पत्र धारा 212 के मद सं० 1 लगायत 9 जवाब ज्यों का त्यों लिख दिया गया और विशेष आपत्तियों को वैसा का वैसा अंकित कर दिया गया और केवल मात्र 50 शब्दों में धारा 212 का आवेदन खारिज कर दिया गया जो नॉन रिजण्ड आदेश पारित किया है जैसा कि डब्ल्यू.एल.सी. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 501 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है और यही सिद्धान्त राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह लिखते हुए कि सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं है, उक्त दो लाईन में निर्णय पारित किया गया है, जो निर्णय की परिभाषा मे नहीं आने से निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा कोटा सरक्यूलर नं0 3 के नियम 46 का हवाला देकर विवादित निर्णय पारित किया गया है जबकि मौजूदा प्रकरण धारा 212 में कोटा सरक्यलूर नं० 3 लागू नहीं होता है। किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा प्राप्त होगा या नहीं होगा साक्ष्य, दस्तावेज से साबित करना होता है। धारा 212 में टाईटल निर्धारण नहीं किया जा सकता है इस कारण परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि पक्षकार के मध्य निजी टाईटल को लेकर विवाद है तो ऐसी स्थिति में यथास्थिति कायम की जानी चाहिए जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है इस कारण भी परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। काशीराम अपने नाना गोपीलाल द्वारा छोड़ी गयी पुश्तैनी जायदाद पर खातेदार काश्तकार काबिज है, ग्यारसीबाई ने द्वितीय विवाह गोपीलाल से किया और गोपीलाल से काशीराम पैदा हुआ जिसके हक व हिस्से पर अपीलांट काबिज काश्त होकर उड़द व सोयाबीन की फसल काश्त कर रखी है विपक्षीगण का आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी परीक्षण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का भारी दुरूपयोग किया है। परीक्षण न्यायालय ने गोपीलाल की मृत्यु सन् 1960 से पूर्व होना माना है जबकि गोपीलाल की मृत्यु सन् 1960 के बाद हुई है। परीक्षण न्यायालय ने धारा 212 में वाद पत्र ही निर्णित कर दिया है जबकि अधिकारों का निर्धारण मूल वाद की विषयवस्तु है मूल वाद में साक्ष्य सबूत से साबित की जायेगी, धारा 212 के तहत अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नामान्तरकरण सं० 666 दिनांक 27.05.1996 गोपीलाल का फौती इन्तकाल किसके द्वारा तस्दीक किया गया, कब तस्दीक किया गया, का हवाला नहीं होते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया है। राजस्व मण्डल ने अपीलांट की निगरानी स० 7241/2007 काशीराम बनाम भूलीबाई स्वीकार कर अपीलांट को पीड़ित पक्षकार मानते हुए वाद सं0 211/2006 में भूलीबाई बनाम राजाराम में पक्षकार बनाया गया है इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। अपीलांट का हित निहित होना माना गया है राजस्व मण्डल के निर्णय की प्रति संलग्न है। उपजिला कलक्टर, किशनगंज ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं कानूनी नजीरे एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज का निर्णय दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाकर ताफैसला मूलवाद कब्जा मौका व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध दायर अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 26.09.2019 को स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः स्थगन आदेश नहीं दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30.10.2019 को पेश हो। दिनांक 26.09.2019 के स्थगन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई।

राजस्व मण्डल ने अपीलांट की निगरानी क्रमांक : राम/न्याय/निगरानी/टी.ए./5870/2019/बारां /17.03.2021 काशीराम बनाम भूलीबाई में धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्थगन प्रकरण के संबंध में अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि उनके यहां विचाराधीन स्थगन प्रकरण का उभयपक्षों की समुचित सुनवाई करते हुए दो माह में निस्तारण करें, तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे उभयपक्ष अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.04.2021 को उपस्थित होवें। प्रकरण उक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने पर दिनांक 14.06.2021 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री रामप्रसाद नागर द्वारा आर्डर 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र पेश किया। उपरोक्त शीर्षक की अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2019 को अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्थगन आदेश को अस्वीकार कर देने पर काशीराम अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जाने पर माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 17.03.2021 को उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई कर दो माह की अवधि मे न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है–तदर्थ उक्त पत्रावली में आज तारीख पेशी नियत है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 17.03.2021 को निर्णय पारित किये जाने से पूर्व रेस्पो० नं. 1 भूलीबाई द्वारा दिनांक 15.02.2021 को संलग्न प्रतिलिपी विक्रय–पत्र मुताबिक वादग्रस्त भूमि में से खसरा नं० 117 की 5 बीघा 11 बिस्वा, 123/1 की 03 बिस्वा 130/1 की 05 बिस्वा, खसरा नं. 131 की । बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 131/1 की 14 बिस्वा, खसरा नं. 187 की 2 बीघा 5 बिस्वा, कुल 6 किता की 10 बीघा । बिस्वा भूमि प्रार्थिनी श्रीमति गरिमा कंवर पत्नि श्री जोधराज सिंह राजपूत निवासी भकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां हाल निवासी कंसुआ कोटा को तथा मिन खसरा नं. 117 की 18 बीघा भूमि प्रार्थी जोधराज सिंह पुत्र धनराज सिंह राजपूत निवासी ग्राम भकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां हाल निवासी कंसुआ कोटा को विक्रय कर कब्जे में सुपुर्द कर दी है–जिसके बाद से प्रार्थीगण केतागण ही उक्त कुल भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त प्रकार से दिनाक 15.02.2021 से कुल वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण दोनों पति– पत्नि द्वारा भूलीबाई से जर्ये रजिस्ट्री विकय पत्र बोनाफाइड रूप में खरीद कर काश्त कर लेने से प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हो चुके हैं तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने हितों की रक्षार्थ उक्त अपील में पक्षकार बनकर जवाबदेही करने को तत्पर है। प्रार्थीगण ने उक्त संबंध में मूल वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगंज जिला बारां में विचाराधीन वाद पत्र में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है। तदर्थ प्रार्थीगण अपील में भी अविलम्ब यह प्रार्थना–पत्र पक्षकार रेस्पोडेन्टान बनकर जवाबदेही करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त अपील में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाये जाने की आज्ञा फरमाई जावे ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 1 रूल 10 सी.पी. सी. जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 17–3–2021 को पारित निर्णय में यह भी आदेश पारित किया गया था कि जब तक स्थगन प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उभय पक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखेगें। प्रार्थना पत्र जिस प्रकार अंकित किया गया है, स्वीकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा अगस्त–2019 में दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रतिवादी रेस्पो० को नियमानुसार सूचना हो गयी थी। रेस्पो० भूली बाई जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई थी एवं जवाब प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र की इस चरण में लिखेनुसार प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 भूली बाई द्वारा उपरोक्त भूमि को विक्रय करने से व अधीनस्थ न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 भूली बाई द्वारा उपरोक्त भूमि को विक्रय करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

प्रतिवादी रेस्पो० नं० भूली बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये बिना ही उपरोक्त वाद विषयक अपील विषयक 10 बीघा 1 बिस्वा एवं 18 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि का बेचान कर दिया। उपरोक्त भूमि का बेचान दौराने दावा न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये बिना ही सर्वथा अवैध गैरकानूनी रूप से प्रार्थीगण को किया गया है। इस कारण उक्त भूमि का बेचान सर्वथा गैरकानूनी एवं प्रभावशुन्य है। उक्त बेचान से प्रार्थीगण को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। उक्त बेचान वादी अपीलान्ट काशीराम के हितों के विरूद्ध बेअसर है। भूली बाई प्रतिवादी रेस्पो० नं0 4 का उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं था। अतः प्रार्थीगण रेस्पो० का उपरोक्त तथाकथित खरीद शुदा भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार है। वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा एवं अपील की प्रार्थीगण को पूर्व से ही जानकारी थी । बावजूद वाद विचाराधीन होने की जानकारी के प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि को गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से खरीद किया है। प्रार्थीगण क्रेतागण के पक्ष में किया गया बेचान बोनाफाइड नहीं है। प्रार्थीगण बोनाफाइड परचेजर नहीं है। बेचान से पूर्व न्यायालय से कोई अनुमति भी नहीं ली गयी थी। अतः उक्त भूमि का बेचान अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिससे प्रार्थीगण को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त अपील में एवं वाद में प्रार्थीगण न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार है प्रार्थीगण की अनुपस्थिती में भी दावा एवं अपील का समुचित रूप से निर्णय हो सकता है। अतः प्रार्थीगण अपील हाजा एवं वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है और न उचित पक्षकार है। प्रार्थीगण सद्भावी क्रेता नहीं है। प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि पर कब्जा भी नहीं है। वादी अपीलान्ट वाद विषयक व अपील विषयक भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि में हित निहित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में भी प्रार्थीगण अभी तक पक्षकार नहीं बनाये गये हैं। दावे में पक्षकार बनाये बिना प्रार्थीगण को अपील हाजा में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है आदेश 1 नियम 10 जा० दी० के प्रावधान दावे पर लागू होते है अपील में लागू नहीं होते हैं। अतः उचित प्रावधान के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट की प्रा०पत्र अन्तर्गत आर्डर–1 नियम–10 जा0 दी0 लिखित बहस पर अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा जवाब पेश किया गया। उपरोक्त अपील में वादग्रस्त भूमि कुल 6 किता रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2021 को रेस्पो० नं. 1 भूलीबाई द्वारा प्रार्थिनी गरिमा कंवर पत्नि जोधराजसिंह को तथा मिन खसरा नं. 117 की 18 बीघा भूमि प्रार्थी जोधराज सिंह को विक्रय कर कब्जे में सुपुर्द की हुई है, जिसके मुताबिक उक्त क्रेतागण उक्त अपील में वादग्रस्त भूमि के बोनाफाईड क्रेतागण होने से हितबद्ध पक्षकार है। उक्त प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद पत्र में भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा प्रभावशील स्थगन आदेश जारी न होकर यथास्थिति का ही आदेश प्रभावशील होने से निम्न रूलिंग के मुताबिक उक्त दोनों क्रेतागण जोधराज सिंह व गरिमा कंवर को उक्त अपील में न्यायहित में पक्षकार बनाया जाना न्यायसंगत है। अपीलांट की ओर से उक्त संबंध में प्रस्तुत आपत्ति एवं जवाब प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियां सलंग्न रूलिंग के मुताबिक निराधार है। अतः ऑर्डर 1 नियम 10 सी. पी. सी. के अन्तर्गत प्रार्थीगण सद्भाविक क्रेतागण को हितबद्ध पक्षकार होने से विचाराधीन अपील में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता बाबत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया।

1– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 208 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2070–73

2– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं० 195 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2062–65

3– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 185 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2058–61

4– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 181 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2054–57

5– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं० 177 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2050–53

6– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 178 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2046–49

7– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 176 खातेदार राजाराम ग्राम कुण्डी तहसील किशनगंज सम्वत् 2042–45

यह कि उपरोक्त दस्तावेजात सरकारी रिकार्ड की प्रमाणित प्रति है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता तथा दस्तावेजात जेन्यूईन है जिनका न्याय हित में पेश किया जाना व रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दस्तावेजात माननीय न्यायालय को भी प्रकरण का निर्णय करने में काफी सहयोगी

सिद्ध होगें । उपरोक्त दस्तावेजात अपील विषयक आराजीयात से सम्बन्धित है, सुसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत किये जाने व रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा आर्डर 22 नियम 4 सी पी सी प्रार्थना पत्र रेस्पो क्रम 1 मृतक भूली बाई पुत्री श्री देवलाल जाति माली निवासी ग्राम कुंडी तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 के कायम मुकामान बनाये जाकर रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 31.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र अपील से सम्बन्धित मूल वाद पत्र 61/2019 को वाद कमांक 111/2006 के साथ समायाजित कर अथवा धारा 10 जा0 दी0 के प्रावधान मुताबिक स्थगित रखे जाने बाबत पेश किया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

- **ऑर्डर 1 नियम 10 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आदेशिका दिनांक 27.09.2022 को ऑर्डर 1 नियम 10 सी पी सी अस्वीकार किया गया।**
- **ऑर्डर 22 नियम 4 व ऑर्डर 22 नियम 5 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आदेशिका दिनांक 17.10.2023 को स्वीकार कर मृतक भूलीबाई के विधिक वारिसान को रेकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये।**
- **ऑर्डर 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आदेशिका दिनांक 19.12.2023 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 नियम 27 सी पी सी न्याय हित में स्वीकार किया गया।**
- **प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2023 पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आदेशिका दिनांक 19.12.2023 को प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2023 अस्वीकार किया गया और आदेश दिया गया कि रेस्पोडेंटगण को धारा 10 जा0 दी0 प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र है।**

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर. बी. जे. (11) 2004 पेज 299, आर. बी. जे. (27) 2020 पेज 653, आर. आर. टी. 2013 (1) पेज 515, आर. बी. जे. (26) 2019 पेज 97, आर. बी. जे. (26) 2019 पेज 551, आर. बी. जे. (23) 2016 पेज 360, डी. एन. जे. 2013 (एस.सी.) पेज 561 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय दिनांक 05.09.2019 के अनुसार उक्त उनवान का वाद पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। आराजी वाके ग्राम कुण्डी पटवार हल्का ख्यावदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां ख0 नं0 117 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, ख० नं० 123/1 रकबा 3 बिस्वा, ख० नं० 130/1 रकबा 5 बिस्वा, ख0 नं0 131 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ख0 नं0 131/1 रकबा 14 बिस्वा, ख0 नं0 187 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा कुल लगानी 31.32 रुपये अवस्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण का पारम्परिक सजरा निम्न प्रकार है–

गोपीलाल (मृतक)

पाचीबाई पत्नि (मृतक) | छोटी बाई पुत्री लाऔलाद मृतक | ग्यारसीबाई पुत्री मृतक

देवलाल पुत्र (मृतक) | काशीराम पुत्र (वादी)

राजाराम पुत्र (मृतक) | भूली बाई (पत्नी)

प्रियंका – पुत्री

4. यह कि गोपीलाल की लड़की ग्यारसीबाई ने पहली शादी चन्दनलाल उर्फ रामचन्द्र से की, जिससे देवलाल का जन्म हुआ, देवलाल के पुत्र का नाम राजाराम है जो फोत हो चुका है जिसकी एक मात्र पुत्री प्रियंका व पत्नि भूलीबाई है, चन्दनलाल उर्फ रामचन्द्र के मृत्यु होने पर ग्यारसीबाई का दूसरा विवाह गोबरी लाल से हुआ, जिससे प्रार्थी काशीराम का जन्म हुआ है, इस प्रकार काशीराम प्रार्थी उक्त भूमि के मूल खातेदार गोपीलाल की पुत्री ग्यारसीबाई का पुत्र है तथा विवादित भूमि वर्णित प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में हिस्सा 1/2 रकबा 14 बीघा का एक मात्र मालिक व स्वामी प्रार्थी है तथा हिस्सा 1/2 पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच किये उक्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में राजाराम पुत्र देवलाल अंकित कर दिया है, जबकि हिस्सा 1/2 आराजी का खातेदार कृषक प्रार्थी है तथा उक्त आराजी हिस्सा 1/2 में बतौर कृषक प्रार्थी अपना नाम अंकन करवा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि राजस्व रिकॉर्ड राजाराम पुत्र देवलाल का नाम अंकित होने से अप्रार्थीगण उक्त आराजी में अपना नाम अंकन करवाने पर आमादा है तथा प्रार्थी के हकूक व टीनेन्सी में दखलअन्दाजी करने पर आमादा है, प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है।

6. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने की आड़ में उपरोक्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया व प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा कर रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना मुद्रा में किसी प्रकार संभव नहीं होगा।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता–फैसला बाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 में प्रार्थी के हकूको व टीनेन्सी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करें तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को अप्रार्थी क्रम 2 के सम्मन अदम तामील प्राप्त क्रम 3 स्वयं उपस्थित अप्रार्थी क्रम 1 की और से एडवोकेट रामकिशन नागर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी क्रम 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर० टी० ए० का जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेबुनियाद एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी को उक्त बाद मे सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में ख० न० 117 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, ख० न० 123/1 रकबा 03 बिस्वा, ख0 नं0 130/1 रकबा 05 बिस्वा, ख० नं० 131 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, ख० नं० 131/1 रकबा 14 बिस्वा, ख0 नं0 187 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कुल 28 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम कूण्डी में स्थित होना स्वीकार है। लेकिन विवादित होना स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। विशेष विवरण आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 4 में देवलाल के पुत्र का नाम राजाराम होना, देवलाल की पत्नी भूली बाई, एवं उपरोक्त आराजी वर्तमान में मृतक राजाराम पुत्र देवलाल के नाम अंकित होना स्वीकार है। शेष मद अस्वीकार है। प्रार्थी का कानूनन कोई भी हक नहीं होने से उपरोक्त आराजी में प्रार्थी किसी भी प्रकार के अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है और प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 में उक्त आराजी वर्तमान में राजाराम पुत्र देव लाल के नाम दर्ज होना और उक्त सम्पूर्ण आराजी में मृतक राजाराम के स्थान पर अप्रार्थी क्रम 1 के नाम इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु तत्पर होना स्वीकार है। शेष मद अस्वीकार है और प्रार्थी का उपरोक्त आराजी में कानूनन कोई हक नहीं होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 6 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या मनगढन्त, बेबुनियाद एवं झूठे तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में कतई विद्यमान नहीं है, क्योकि प्रार्थी का उपरोक्त आराजी पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 7 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थी का उपरोक्त आराजी पर कोई हक नहीं होने एवं उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी की एक मात्र मालकिन एवं स्वामी अप्रार्थी क्रम 1 है। इसलिये अप्रार्थी क्रम 1 को उपरोक्त आराजी में समस्त हक एवं हकूक एवं मालिकाना अधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रार्थी को अपूर्णनिय क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं है।

अप्रार्थी क्रम 1 ने विशेष आपत्तियों में कथन किया है कि वाके ग्राम कुण्डी पटवार हल्का ख्यावदा में ख० नं० 117 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, ख० नं0 123/1 रकबा 03 बिस्वा, ख0 नं0 130/1 रकबा 05 बिस्वा, ख० नं० 131 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, ख0 नं0 131/1 रकबा 14 बिस्वा, ख0 नं0 187 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, कुल 28 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम कुण्डी में स्थित है। प्रार्थना पत्र मद नं० 2 में वर्णित आराजी दिनांक 27.051945 अर्थात् सम्बत 2002 तक गोपीलाल पुत्र मेदा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और यह तय शुदा बात है कि गोपीलाल की मृत्यु दिनांक 27 मई 1945 के पूर्व हो चुकी थी इसलिये गोपीलाल का फोती नमान्तकरण सं० 666 दिनाक 27.05.1945 को तस्दीक किया गया है और दिनाक 27.05.1945 को हिन्दू, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आस्तित्व में नहीं था अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान दिनाक 27.05.1945 को लागू नहीं थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व कोटा स्टेट (रियासत) में हिन्दू व्यक्ति फोत होने पर विरासत कोटा स्टेट के सर्कूलर नं० 3 के नियम–46 के अनुसार तय होती थी और उक्त नियम 46 के अनुसार उत्तराधिकार के क्रम 1 पर बेटे, पोते पडौते, सडोते क्रम 2 पर बेवा स्त्री एवं क्रम 3 पर बेटे, पोते, पडोते, सडौते की बेवा और उत्तराधिकार के क्रम 4 पर बेटी होने के कारण उपरोक्त भूमि में गोपी लाल की पुत्री अर्थात प्रार्थी की मॉ ग्यारसी बाई का कोई हिस्सा, हक एवं अधिकार नहीं था। क्योकि कोटा स्टेट के सकूर्लर नं० 3 के नियम 46 के अनुसार उत्तराधिकार के क्रम 2 पर

गोपी लाल की बेवा पॉची बाई जीवित मौजूद थी। इसलिए जब उक्त आराजी में प्रार्थी की मां ग्यारसी बाई को कोई अधिकार नहीं था तो उक्त आराजी के हिस्से 1/2 पर प्रार्थी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत कतई मेन्टीनेबल नही है। इसलिये उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने काबिल है। उक्त सम्पूर्ण आराजी की एक मात्र मालिक एवं स्वामीनी गोपीलाल की बेवा पॉची बाई के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र में देवलाल के खाते दर्ज हुई है और देवलाल फोत होने के उपरान्त उक्त आराजी वर्तमान खातेदार राजाराम के नाम दर्ज हुई है और राजाराम की मृत्यु 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक राजाराम की मॉ अप्रार्थी क्रम 1 के अलावा राजाराम को कोई जाईन्दा पुत्र अथवा पुत्री अप्रार्थी क्रम 2 वारिस नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतक राजाराम के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी की अप्रार्थी क्रम 1 भूली बाई ही एक मात्र मालिक एवं स्वामीनी है। जो मृतक राजाराम के स्थान पर उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी में अपने नाम इन्तकाल खुलवाकर तस्दीक करवाने की एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 अपने पुत्र राजाराम के जीवनकाल से ही काबिज काश्त करती चली आ रही है और वर्तमान में भी अप्रार्थी क्रम 1 से उक्त आराजी से सोयाबीन एवं उड़द की फसल बो रखी है। जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 ने हजारों रूपया खर्च किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधि० ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया एवं निवेदन किया कि मूल खातेदार गोपीलाल जो फोत हो गये है उनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

पांची बाई (विधवा मृत) छोटी पुत्री (मृत) ग्यारसी पुत्री (मृत)

देवलाल (मृतक) काशीराम वादी

राजाराम पुत्र (मृत) भूलीबाई पत्नी

प्रियंका पुत्री

प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार हुई है। पूर्व वाद 211/2006 भूली बाई बनाम राजाराम में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। 23.05.1956 को दानपत्र कराया गया था। काशीराम 1/2 भूमि पर बैठा है। वाद सं० 211/2006 अप्रार्थीगण ने विड्रो करवा लिया है। अप्रार्थी अधिक ने अपने जवाब को दोहराया एवं निवेदन किया–

सम्वत् 1995–98 में गोप्या के नाम उक्त आराजी थी सन् 1947 में गोप्या मर गया। सन् 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं थे। कोटा स्टेट का सर्कूलर नं० 3 के आधार पर विरासत आयी थी। दिनांक 27.05.1947 का नामान्तरण सं० 666 से पांचीबाई के नाम दर्ज हुई। कोटा सर्कूलर में बेटी 4 वे नं० पर आती है बेवा 2 नं० पर है। इस आधार पर कोई अधिकार नहीं बनता। ग्यारसी के अधिकार नहीं है तो काशीराम के भी कोई अधिकार नहीं बनते। सम्पूर्ण अधिकार पांचीबाई के थे जिसने दानपत्र से देवलाल के नाम जमीन करायी। देवलाल के बाद राजाराम भूलीबाई के नाम जमीन आ जानी है। प्रियंका नाम की कोई पुत्री नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अधोतन विवेचनानुसार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर० टी० ए० खारिज किया जाता है। तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति भी होने की गुंजाईश नहीं है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी० ए० खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर निर्णय पारित करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 1995–96 पठनीय नहीं है। इंतकाल की नकल में गोपीलाल के फोत होने पर पांची बाई बेवा गोपीलाल के नाम खुले फोती इंतकाल की नकल भी पठनीय नहीं है। नकल में इंतकाल की दिनांक भी स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी ने अपने जवाबदावे में यह कथन किया है कि पांचीबाई ने वादग्रस्त आराजी दानपत्र से देवलाल के नाम करायी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दानपत्र या दानपत्र की कोई प्रति सलंग्न नहीं है इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के मौखिक कथन को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के ही स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से

अध्ययन किया गया। अधोतन विवेचनानुसार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर० टी० ए० खारिज किया जाता है। तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति भी होने की गुंजाईश नहीं है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी० ए० खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय धारा 212 आ0 टी० ए० के तीनों मुख्य बिन्दुओं 1 प्रथम दृष्टया प्रकरण, 2 सुविधा का सन्तुलन, 3 अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया है। पत्रावली में नकल जमाबंदी संवत 1995–96 तथा नकल फोती इंतकाल पठनीय नहीं है एवं पांची बाई द्वारा देवलाल के पक्ष में विवादित आराजी के किये हुए दानपत्र की प्रति पत्रावली में सलंग्न नहीं है तथा अपीलांट द्वारा भी अपील में अंकित अपने कथनों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों को सुनकर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों बिन्दुओं 1 प्रथम दृष्टया प्रकरण, 2 सुविधा का सन्तुलन, 3 अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत तीनों बिन्दुओं पर स्पीकिंग आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/12/2023

(दीप्ति रमचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा